न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 293/2008

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

नगरपालिका मण्डल कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1700 वाके ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

निर्णय

दिनांक 31.3.2021

प्रार्थी तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील में नामान्तरकरण संख्या 1700 वाके ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली के विरूद्व अपील पेश की गयी है, जिसमें वर्णित तथ्य निम्नभांति पेश किये हैं :–

1. यह है कि नामा.सं. 1700 वाके ग्राम बासडी जो दिनांक 01/12/2007 को निर्णित हुआ था जो बिना किसी आदेश के निर्णित हुआ था जो बिना किसी आदेश के दर्ज किया गया है, जिसमें खसरा नम्बर 1041 रकबा 0.16 है0 में से हिस्सा 193/1600 व खसरा नम्बर 1278 रकबा 0.28 है0 में से हिस्सा 167/2800 तथा खसरा नम्बर 1556/1 रकबा 0.58 है0 में से हिस्सा 788/5800, खसरा नम्बर 1381 रकबा 0.60 है0, 1382 रकबा 1.60 है0, खसरा नम्बर 1098/2 रकबा 0.55 है0 का हिस्सा 122/5500 नगरपालिका के नाम दर्ज किया गया था जो विधि विरूद्व है जो बिना किसी सक्षम आदेश के दर्ज किया गया है जो निरस्तनीय है।
2. उक्त तथ्यों की जानकारी प्रार्थी को 10 दिवस पूर्व हुयी है। अपील अन्दर मियाद सेवामें पेश है।
3. यह है कि विवादित अचल सम्पत्ति श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में है। इस कारण श्रीमान् को अपील सुनने एवं तय करने का अधिकार प्राप्त है लिहाजा अपील श्रीमान् के समक्ष पेश कर निवेदन है कि अपील मंजूर कर उक्त नामा. को निरस्त करने की कृपा करें।
4. प्रार्थी तहसीलदार कोटपूतली द्वारा अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टरकी गयी तथा अप्रार्थी/पक्षकार फकीर मौहम्मद पुत्र समसुद्वीन की ओर से श्री सुधीर कुमार शर्मा एडवोकेट उपस्थित आये।
5. बहस सुनी गयी। प्रार्थी अपीलान्ट तहसीलदार कोटपूतली ने प्रस्तुत अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि नामा. सं. 1700 वाके ग्राम बासडी जो दिनांक 01/12/2007 को निर्णित हुआ था जो बिना किसी आदेश के दर्ज किया गया है जिसमें ख. नं. 1041 रकबा 1.16 है0 में से हिस्सा 193/1600 व ख.नं. 1278 रकबा 0.28 है0 में से हिस्सा 167/2800 तथा ख.नं. 1356/1 रकबा 0.58 है0 में से हिस्सा 788/5800 खसरा नम्बर 1381/0.60 है0 , 1382 रकबा 1.60 है0 खसरा नम्बर 1098/2 रकबा 0.55 है0 का हिस्सा 122/5500 नगरपालिका के नाम दर्ज किया गया है जो विधि विरूद्व है. जो बिना किसी सक्षम के आदेश से दर्ज किया गया है जो अपास्त किया जाना न्यायोचित है। अत: प्रार्थी की अपील मंजूर फरमायी जाकर उक्त वर्णित नामा.सं. 1700 वाके ग्राम बासडी दिनांक 01/ 12/2007 को अपास्त किया जावें।
6. पक्षकार फकीर मौहम्मद पुत्र समसुद्वीन के वकील द्वारा प्रस्तुत बहस के साथ एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जो संलग्न पत्रावली है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मेंवर्णित किया है कि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा उपरोक्त प्रकरण में विचाराधीन नामा. व आराजी बाबत मान्य राजस्थान उच्च न्यायालय सिविल रिट पीटिशन संख्या 3826/2009 प्रस्तुत की जिस पर

अति. जिला कलेक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

मान्य उच्च न्यायालय द्वारा उक्त सिविल रिट पीटिशन स्वीकार कर तहसीलदार कोटपूतली को उक्त आराजी बाबत मान्य उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 30/3/93 ब उनवान संगीता बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के अनुसरण में प्रकरण का निस्तारण किये जाने के आदेश पारित किये है। मान्य उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में आदेश पारित किये जाने के पश्चात् अपील में कोई कानूनी अस्थितत्व शेष नहीं रह जाता है। मा0 उच्च न्यायालय के अनुसार उक्त प्रकरण का निस्तारण तहसीलदार कोटपूतली द्वारा किया जाना नियत है। इसलिए मान्य न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार कोटपूतली से प्रकरण का निस्तारण करने हेतु आदेश फरमावें।

7. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों सबूतों का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तो पाया कि ग्राम बासडी. तहसील कोटपूतली का नामा.सं. 1700 दिनांक 01/12/2007 को उक्त नामा. स्वीकार होना पाया जाता है, जिसमें ख.नं. 1041 रकबा 1.16 है0 में से हिस्सा 193/1600 व ख.नं. 1278 रकबा 0.28 है0 में से हिस्सा 167/2800 तथा ख.नं. 1356/1 रकबा 0.58 है0 में से हिस्सा 788/5800 खसरा नम्बर 1381/0.60 है0 , 1382 रकबा 1.60 है0 खसरा नम्बर 1098/2 रकबा 0.55 है0 का हिस्सा 122/5500 नगरपालिका के नाम दर्ज किया जाना पाया जाता है जो तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बहस में विधि विरूद्व दर्ज होना जाहिर किया है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी के आदेश से उक्त नामा. दर्ज हुआ है। उक्त आदेश कमांक 11207 दिनांक 80 दिनांक 18/10/2007, 06/11/07 की प्रति इस न्यायालय द्वारा चाही जाने पर प्रार्थी तहसीलदार द्वारा उपलब्ध नहीं करायीं ना ही उक्त आदेश से सम्बन्धित किसी प्रकार की सही जानकारी दी गयी, जिससे सिद्वा होता है कि उक्त नामा. कानून की दृष्टि से विधि अनुरूप सही दर्ज नहीं हुआ है। इसलिए उक्त नामा. विधि विरूद्व दर्ज होना प्रतीत होता है। रेस्पोडेन्ट वकील बहस में जाहिर किया है कि प्रकरण में विचाराधीन नामा. व आराजी बात माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के संमक्ष अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा सिविल रिट पीटिशन संख्या 3826/2009 प्रस्तुत की गयी थी जिसे स्वीकार कर तहसीलदार कोटपूतली को संगीता बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित आदेश 30/3/93 के अनुसरण में प्रकरण को निस्तारण किये जाने के निर्देश पारित किये है। इसलिए अपील का कानूनन रूप से अस्तित्व शेष नहीं रह जाता है। इसलिए प्रकरण में तहसीलदार कोटपूतली को निर्देश प्रदान करते हुए खारिज के आदेश फरमावें।

चूँकि इस न्यायालय द्वारा क्रमांक 48/रीडर दिनांक 05/02/2018, 199/कोर्ट/दिनांक 09/8/2018 द्वारा बार-बार तहसीलदार न0पा0मण्डल व उपखण्ड अधिकारी को लिखे जाने उपरान्त भी जिस आदेश से उक्त नामा.सं. 1700 वाके ग्राम बासडी दर्ज हुआ है, जिस आदेश की प्रति चाही जाने पर आदिनांक तक उपलब्ध नहीं करायी गयी, ज़िस कारण से प्रकरण का निस्तारण करने में विलम्ब रहा है। अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय राज. उच्च न्यायालय जयपुर के यहां सिविल रिट पीटिशन संख्या 3826/2009 ब उनवान संगीता बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान उक्त नामा. एवं आराजी बाबत रिट प्रस्तुत की गयी थी जिसमें दिनांक 30/3/93 के द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में तहसीलदार कोटपूतली को प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निर्देश प्राप्त है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा प्रकरण में आदेश पारित किये जाने के पश्चात् इस न्यायालय हाजा में अपील को चलाये जाने का कोई अस्तित्व शेष नहीं रह जाता है वैसे भी उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उक्त प्रकरण का निस्तारण तहसीलदार कोटपूतली द्वारा किया जाना नियत है. ऐसी स्थिति में तहसीलदार कोटपूतली को प्रकरण प्रति प्रेषित रिमाण्ड किया जाकर आदेश दिये जाते है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर रिट पीटिशन संख्या 3826/2009 ब उनवानी संगीता बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित आदेश 30/3/93 के अनुसरण में विधी सम्मत निर्णय पारित करें।

8. यह निर्णय आज दिनांक 31.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)